

दिनांक 11-10-2020 को समय 11.00 बजे से 12.30 बजे तक जनपद के समस्त थानों के चौकी प्रभारियों की गोष्ठी पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी में सभी चौकी प्रभारियों को चौकी क्षेत्र में अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सशक्त कार्यवाही करने, भूमि/साम्प्रदायिक विवादों को चिन्हित कर उनके समय से निराकरण करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र में सम्भ्रान्त व्यक्तियों/पेंशनर/कोटेदार/ग्राम प्रधान/एस-10/डिजीटल वालेन्टियर के साथ बेहतर तालमेल एवं समन्वय स्थापित कर उनकी सहभागिता प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। चौकी क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों के सम्यक निराकरण के साथ-साथ उच्च कोटि का आचरण तथा कार्यदक्षता बेहतर रखने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्र में प्रचलित दुराचारियों/सक्रिय अपराधियों/समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों/कानून एवं शान्ति व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही शासन द्वारा आगामी नवरात्र पर्व के दिवसो (दिनांक 17-10-2020 से 25-10-2020) में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं आत्म सुरक्षा का वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से चलाये जाने वाले विशेष अभियान में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत होर्डिंग्स, स्टीकर्स, स्लोगन के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। आगामी ग्राम पंचायत के चुनावों के सम्बन्ध में अभी से समस्त तैयारिया करने हेतु निर्देशित किया गया।



दिनांक 11-10-2020 को समय 12.30 बजे से जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त हैडमोहरीर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की गोष्ठी पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। थानों पर नियुक्त हैडमोहरीरों को थानों पर उपलब्ध माल मुकदमाती, मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित खडे वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रखने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित वाहनों के तत्परतापूर्वक निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। थाने पर उपलब्ध सरकारी सम्पत्ति का मिलान करने तथा कण्डम सामान को पुलिस लाइन में जमा कर नया सामान प्राप्त करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। थानों पर काफी समय से पडे आबकारी अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, वन अधिनियम से सम्बन्धित मालों के निस्तारण हेतु अभियान चलाकर निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। थाने पर प्रचलित रजिस्ट्रों को थाने पर नियुक्त हैडमोहरीर, कान्सटेबल मोहरीर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सीसीटीएनएस कर्मियों की जिम्मेदारी तय कर आंवटित कर अद्यावधिक करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। यह निर्देश दिये गये कि थाना कार्यालय में नियुक्त कोई भी कर्मी कम्प्यूटर के ज्ञान से अनभिज्ञ न रहे। साथ ही थानों पर डाटा डिटिलाइजेशन का कार्य सुचारू रूप से करने, थानों पर प्राप्त होने वाले शासन/उच्चाधिकारियों के आदेशो-निर्देशों की जानकारी अधीनस्थ को देने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।



दिनांक 11-10-2020 को समय 16.00 बजे जनपद के थानों के समस्त हल्का प्रभारियों की गोष्ठी पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी में सभी हल्का प्रभारियों को हल्का क्षेत्र में अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सशक्त कार्यवाही करने, भूमि/साम्प्रदायिक विवादों को चिन्हित कर उनके समय से निराकरण करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र में सम्भ्रान्त व्यक्तियों/पेंशनर/कोटेदार/ग्राम प्रधान/एस-10/डिजीटल वालेन्टियर के साथ बेहतर तालमेल एवं समन्वय स्थापित कर उनकी सहभागिता प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। हल्का क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों के सम्यक निराकरण के साथ-साथ उच्च कोटि का आचरण तथा कार्यदक्षता बेहतर रखने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्र में प्रचलित दुराचारियों/सक्रिय अपराधियों/समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों/कानून एवं शान्ति व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही शासन द्वारा आगामी नवरात्र पर्व के दिवसो (दिनांक 17-10-2020 से 25-10-2020) में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं आत्म सुरक्षा का वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से चलाये जाने वाले विशेष अभियान में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत होर्डिंग्स, स्टीकर्स, स्लोगन के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। आगामी ग्राम पंचायत के चुनावों के सम्बन्ध में अभी से समस्त तैयारिया करने हेतु निर्देशित किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 11.10.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण 1- फरमान पुत्र साबिर हुसैन निवासी ग्राम मलकपुर बढेरन 2- सोमप्रकाश शर्मा 3- गजेन्द्र कुमार शर्मा 4- बोबी पुत्रगण कान्ता प्रसाद निवासीगण ग्राम जयरामपुर सोकली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 11.10.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1- मीना पत्नी राजू 2- श्रीमति सोनम पत्नी दिनेश निवासी ग्राम कुरी बांग थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में जनपद बिजनौर में फायर सर्विस की यूनिटों द्वारा व नगरपालिका के सहयोग से हॉटस्पॉटो व अन्य स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया गया। उक्त कार्य में चार फायर टेंडरो व एक वॉटर मिस्ट का प्रयोग किया गया। जिनका विवरण निम्न है।-

- 1 - ग्राम पीर उमरी तहसील चांदपुर (हॉटस्पॉट)
- 2 - फायर स्टेशन नगीना जनपद बिजनौर

3 - अनुपम विहार कॉलोनी बिजनौर तहसील बिजनौर

4 - जनक विहार कॉलोनी बिजनौर तहसील बिजनौर





थाना स्योहारा:- आज दिनांक 11.10.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र गणेश निवासी मोहल्ला अफगान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 512/20 धारा 60 एक्सआइज एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

